प्राधिकरण की दिनांक– 27–06–2001 को हुई पंचम बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

मद सं0	मद	निर्णय
1–	चतुर्ध बोर्ड बैठक दिनांक–17–10–2000 की कार्यवाही की पुष्टि।	चतुर्थ बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
2–	चतुर्थ बोर्ड बैठक दिनांक–17–10–2000 की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
3–	हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण हेतु वर्ष 2001–2002 का आय व्यय सम्बन्धी प्रस्ताव।	बजट 2001–2002 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमोदित किया गया।
4–	भवन अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र पर अपील कर किये जाने वाले मानचित्र शुल्क को पुनःरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	प्रस्तावित मानचित्रों के लिए मानचित्र शुल्क निम्नवत होगा –

(अ) आवासीय के लिए

क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	प्रस्तावित(रू0)	अनुमोदित(रू0)
0 – 60	50	50
61 – 120	100	80
121 – 180	150	100
180 से अधिक	300	200

(ब) वाणिज्य के लिए

क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	प्रस्तावित(रू0)	अनुमोदित(रू0)
0 – 20	300	200
21 – 50	450	300
51 –100	600	400
(100 वर्ग मी0 से अधिक किन्तु प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्ग मी0 या उसके भाग पर)	300	200

मद सं0	मद	निर्णय
5–	प्राधिकरण गठन से पूर्व निर्मित भवनों के सम्बन्ध में।	विस्तृत विवरण को इंकित करते हुए हापुड़ की समस्या के दीर्घकालीन निवारण के लिए शासन से स्वैच्छिक शमन योजना तीन माह लागू करने का अनुरोध किया जाए।
6–	औद्योगिक सामुदायिक सुविधाओं व चेरिटेबिल संस्थओं आदि के सम्बन्ध में भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में विकास शुल्क लिए जाने विषयक।	स्वीकार किया गया।
7–	हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण को प्रस्तावित प्रस्तावित पॉचो योजनाओं की प्रगति से बोर्ड को अवगत कराना।	उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि आजाद पुर फल एवं सब्जी मण्डी दिल्ली हापुड़ में शिफ्ट नहीं हो रही है। फल

एवं सब्जी मण्डी की योजना जिस स्थल पर प्रस्तावित है वह स्थल बाइपास की स्थिति को देखते हुए आवासीय योजना के लिए अधिक उपयुक्त होगा। हापुड़ में कृषि मण्डी में अभी भी काफी स्थान रिक्त हैं इसलिए नई फल एवं सब्जी मण्डी के चलने की संभावना कम है। इसका भू–उपयोग आवासीय करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

प्राधिकरण पर बढ़ते ब्याज को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शीघ्र अति शीघ्र आवासीय एवं नीड बेस्ड योजना का वास्तविक आंकलन को प्रीत विहार आवासीय योजना एवं फल एवं सब्जी मण्डी योजना को आवासीय रूप में क्रियान्वित किया जाए। बस स्टैण्ड योजना को शासन द्वारा समाप्त कर दिया जाए। ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के विषय में आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जांए तथा आनन्द विहार योजना के लिए जिला–धिकारी गाजियाबाद से शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाए। सभी योजनाओं का पुनः आंकलन कर शीघ्र कार्यवाही की जाए तथा आवश्यकतानुसार ई0पी0आई0 से वाइविल्टी की स्टडी की जाए।

8–	हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण को इन्फ्रास्ट्रक्चर एकाउन्ट खोले जाने से दिनांक–31–3–2003 तक और मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध में।	अन्तिम बार दिनांक–31–3–2002 तक एकाउन्ट खोलने से मुक्त किया गया तदनुसार शासन से अनुरोध किया जाए।
9–	उपाध्यक्ष–एच0पी0डी0ए0 को हापुड़ महा–योजना–2005 में मानचित्र स्वीकृत / कम्पाउन्ड किए जाने के सम्बन्ध में अधिकार विषयक।	शासन के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि शासन स्तर से दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं तदनुसार कार्यवाही की जाए।
10–	प्राधिकरण कार्यालय स्थानान्तरण विषयक।	प्रस्ताव निरस्त किया गया।
11–	भवन उपविधि में 200 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों के सैट बैक के बारे में।	शासन द्वारा निर्धारित है, वही एडोप्ट की जाए।

12—	डेरी फार्म हेतु मानचित्र स्वीकृत के मानकों के निधारण का प्रस्ताव।	शासन द्वारा निर्धारित है, वही एडोप्ट की जाए।
13—	हापुड़ क्षेत्र में छवि गृह के मानचित्र की स्वीकृति विषयक।	स्वीकृत किया गया।
14—	रेलवे रोड—हापुड़ में शोपिंग सेन्टर के मानचित्र की स्वीकृति विषयक।	निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति गठित की जाती है जो कि अध्यक्ष महोदय के समक्ष सभी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक अनुशंसा करेगी। 1— श्री वेद मित्तल मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद। 2— श्री एस0के0 जमान मुख्य समन्वय नियोजक, एन0सी0आर0 सैल, गाजियाबाद। 3— श्री राधेश्याम शर्मा अधिशासी अभियन्ता एच0पी0डी0ए0, हापुड़।
15—	मै0 सैन्चूरी लेमिनेटिंग कं0— हापुड़ द्वारा स्थापित फैक्ट्री की भूमि एवं विस्तारीकरण हेतु कय की गयी 1.8 हैक्टेयर भूमि का भू—उपयोग परिवर्तन किए जाने के सम्बन्ध में।	अतिरिक्त मद सं0 —1 के अनुसार कार्य—वाही की जाए।

अतिरिक्त मदः—

1—	मै0 सैन्चूरी लेमिनेटिंग कं0 को मानचित्र स्वीकृति एवं भूमि दिए जाने विषयक।	1— प्रीत विहार योजना में भूमि उपलब्ध होने पर 2.5 एकड़ भूमि फैक्ट्री के तीनों तरफ मै0 सैन्चूरी लेमिनेटिंग कं0 के लिए आरक्षित की जाती है जिसका आवंटन नियमानुसार दरों पर उपाध्यक्ष द्वारा किया जाए। 2— मै0 सैन्चूरी लेमिनेटिंग कं0 द्वारा 1.8 हैक्टेयर भूमि का भू—उपयोग परिवर्तन औद्योगिक करना

		स्वीकार किया गया जिसके लिए कं0 को भू–उपयोग परिवर्तन धनराशि जमा करानी होगी एवं शेष कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण की जाए। 3– मै0 सैन्चूरी लेमिनेटिंग कं0 द्वारा नई भूमि खरीदे जाने पर बिन्दु–2 की भांति औद्योगिक कर दिया जाए।
2–	शासनादेश सं0–3002/9–आ–1–29--विविध/98 लखनऊ दिनांक–8जून,2001 के क्रम में विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।	अंगीकृत किया गया।
3–	मै0 सैन्चूरी लेमिनेटिंग कं0, हापुड़ के मानचित्र की कम्पाउन्डिंग/स्वीकृत किए जाने हेतु उ0 प्र0 शासन आवास अनुभाग–3 के कार्यालय आदेश सं0–2751/9–आ–7.3.2001–264 काम्प/2000 दिनांक–26–6–2001 द्वारा गठित समिति की दिनांक–25 एवं 26 जून –2001 को विकास प्राधिकरण कार्यालय, गाजियाबाद में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त ।	मै0 सैन्चूरी लेमिनेटिंग कं0 के लिए शासन द्वारा गठित समिति की अनुशंसा अवलोकित की गयी तथा जैसा कि मद सं0–1 में प्रस्ताव रखा गया है कि भविष्य में मै0 सैन्चूरी लेमिनेटिंग कं0 द्वारा फैक्ट्री के तीनों तरफ भूमि क्रय की जायेगी, जिससे कि वह अपने सैट बैक्स समा–योजित कर सकें। शासन को सूचनार्थ भेजा जाए।
4–	श्री श्याम सिंह यादव सचिव को उनके बच्चों की चिकित्सा पर हुए व्यय का भुगतान।	शासनादेश के अनुसार ही देय अनुमन्य होगा।

28/6/2001

(काशी राम)
उपाध्यक्ष
एच0पी0डी0ए0
हापुड़।

अनुमोदित

28/6/01

(दीपक सिंघल)
अध्यक्ष/आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ ।